भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-756

उत्तर देने की तारीख- 24/07/2025

जनजातीय समुदायों के लिए भू-अधिकार सुनिश्चित करना

756. श्री सप्तगिरि शंकर उलाका:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में अनेक जनजातीय समुदायों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि के स्वामित्व से वंचित किया जा रहा है और उन्हें भूमि खाली करने के लिए विवश किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य-वार दायर की गई और अस्वीकृत भूमि और सामुदायिक स्वामित्व के दावों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पात्र जनजातीय परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वामित्व प्राप्त हो और उनके आवास और प्रथागत अधिकार सुरक्षित रहें; और

(घ) क्या सरकार ने गलत बेदखली को रोकने और समर्पित प्रकोष्ठों या डिजिटलीकरण प्रयासों के माध्यम से लंबित दावों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं या निगरानी तंत्र स्थापित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय, "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006" (संक्षेप में एफआरए) के विधायी मामलों के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निर्देश और दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इसे 20 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है।

एफआरए जबरन बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। वन अधिकार अधिनियम की धारा 4(5) में यह प्रावधान है कि अन्यथा प्रावधान के अलावा, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी भी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से तब तक बेदखल या हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। पीड़ित व्यक्तियों द्वारा एसडीएलसी और डीएलसी [एफआरए की धारा 6(2) और 6(4)] को याचिका दायर करने का प्रावधान है। इसके अलावा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति को वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहितीकरण की प्रक्रिया की निगरानी करने, क्षेत्र स्तर की समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी होती है।

(ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट की निगरानी करता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मई 2025 तक कुल मिलाकर ग्राम सभा स्तर पर कुल 51,23,104 दावे दायर किए गए हैं, जिनमें 49,11,495 व्यक्तिगत और 2,11,609 सामुदायिक दावे शामिल हैं। इनमें से कुल 25,11,375 (49.02%) स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किये गये, जिनमें 23,89,670 व्यक्तिगत और 1,21,705 सामुदायिक स्वामित्व अधिकार पत्र शामिल थे। तथा 18,62,056 (36.34%) दावे अस्वीकृत किये गये, जिनमें 18,09,017 व्यक्तिगत तथा 53,039 सामुदायिक दावे शामिल हैं। ग्राम सभा स्तर (व्यक्तिगत और सामुदायिक) पर दायर दावों, वितरित स्वामित्व अधिकार पत्र और अस्वीकृत दावों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक पर है। एफआरए के तहत ग्राम सभा स्तर पर दायर दावों (व्यक्तिगत और सामुदायिक) की संख्या और 2020 से खारिज किए गए माह-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दावों की कुल संख्या का ब्यौरा, इस मंत्रालय की वेबसाइट- एफआरए-एमपीआर- https://tribal.nic.in/FRA.aspx पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं कि पात्र जनजातीय परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वामित्व अधिकार पत्र प्राप्त हो और उनके आवास और प्रथागत अधिकार सुरक्षित रहें तथा गलत बेदखली को रोका जाए और निपटान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए:

(i) जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निर्देश और दिशानिर्देश जारी करता रहा है। और भी, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग और संबंधित प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। डीसी/डीएम को सभी लंबित एफआरए दावों को समय पर निपटान करने की सलाह दी गई है।

(ii) वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को अग्रेषित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैध दावेदारों को उनके वन अधिकारों से वंचित न किया जाए।

(iii) जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य और जिला/उपखंड स्तर पर समर्पित एफआरए प्रकोष्ठों की स्थापना करके दो वर्षों की अवधि के लिए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए) के तहत जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि लंबित दावों (सामुदायिक और व्यक्तिगत दोनों) के निपटान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके, उप-मंडल स्तरीय समितियों (एसडीएलसी), जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और अन्य संबंधित निकायों की बैठक का समय पर आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एफआरए प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। मंत्रालय राज्यों से आग्रह कर रहा है कि वे एफआरए एटलस तैयार करें, ताकि उन संभावित वन क्षेत्रों की मैपिंग की जा सके, जिन पर एफआरए के तहत विचार किया जा सके तथा सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण का कार्य किया जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय डीए जेजीयूए के तहत राज्य-विशिष्ट एफआरए पोर्टल (जिसमें समर्पित सर्वर, सॉफ्टवेयर की लागत, हार्डवेयर, सुरक्षा ऑडिट, भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल मैपिंग और अन्य परिचालन लागत शामिल हैं) के विकास और रखरखाव के लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभाग को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

अनुलग्नक

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक, जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

क्र. सं.	राज्य	31.05.2025 तक प्राप्त दावों की संख्या			31.05.2025 तक वितरित स्वामित्व अधिकार पत्रों की संख्या			31.05.2025 तक अस्वीकृत दावे		
		व्यक्तिगत	समुदाय	कुल	व्यक्तिगत	समुदाय	कुल	व्यक्तिगत	समुदाय	कुल
1	आंध्र प्रदेश	285,098	3,294	288,392	226,651	1,822	228,473	56940	1470	58410
2	असम	148,965	6,046	155,011	57,325	1,477	58,802	NA/NR	NA/NR	NA/NR
3	बिहार	4,696	0	4,696	191	0	191	4496	0	4496
4	छत्तीसगढ़	890,220	57,259	947,479	481,432	52,636	534,068	403129	3658	406787
5	गोवा	9,757	379	10,136	856	15	871	438	9	447
6	गुजरात	183,055	7,187	190,242	98,732	4,792	103,524	0	2331	2331
7	हिमाचल प्रदेश	4,883	683	5,566	662	146	808	52	2	54
8	झारखंड	107,032	3,724	110,756	59,866	2,104	61,970	26370	1737	28107
9	कर्नाटक	288,549	5,940	294,489	14,981	1,345	16,326	249060	4209	253269
10	केरल	44,455	1,014	45,469	29,422	282	29,704	12539	296	12835
11	मध्य प्रदेश	585,326	42,187	627,513	266,901	27,976	294,877	310216	12191	322407
12	महाराष्ट्र	397,897	11,259	409,156	199,667	8,668	208,335	170487	2144	172631
13	ओडिशा	701,148	35,024	736,172	462,067	8,832	470,899	144104	532	144636
14	राजस्थान	113,162	5,213	118,375	49,215	2,551	51,766	63466	2455	65921
15	तमिलनाडु	33,119	1,548	34,667	15,442	1,066	16,508	12293	418	12711
16	तेलंगाना	651,822	3,427	655,249	230,735	721	231,456	92744	1682	94426
17	त्रिपुरा	200,557	164	200,721	127,931	101	128,032	68785	63	68848
18	उत्तर प्रदेश	92,972	1,194	94,166	22,537	893	23,430	70435	301	70736
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	3403	3090	6493
20	पश्चिम बंगाल	131,962	10,119	142,081	44,444	686	45,130	87333	9254	96587
21	जम्मू एवं कश्मीर	33,233	12,857	46,090	429	5,591	6,020	32727	7197	39924
कुल		4,911,495	211,609	5,123,104	2,389,670	121,705	2,511,375	1809017	53039	1862056